संख्या : 3294 /आठ-1-16

शिव जनम चौधरी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,
उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
उ0प्र0।

2. उपाध्यक्ष,
समस्त विकास प्राधिकरण,
उ0प्र0।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 26 अक्टूबर, 2016

विषय : उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद तथा विकास प्राधिकरणों के अर्जित भूमि का ऑडिट किये जाने के संबंध में।

महोदय,

शहरों के नियोजित विकास हेतु प्रदेश में आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया है। इस लक्ष्य को पाने के लिए प्राधिकरणों/आवास विकास परिषद द्वारा भूमि का अर्जन किया जाता है एवं अर्जित भूमि का विकास कर विभिन्न सम्पत्तियों के रूप में विक्रीत किया जाता है। भूमि अर्जन की इस प्रकिया में विभिन्न विभागों से उचित ताल–मेल न होने एवं भूमि के रिकार्ड के आंकड़ों का ठीक प्रकार से रख–रखाव न होने एवं भूमि संबंधी आंकड़ों को पारदर्शी एवं अद्यावधिक स्थिति का पता लगाने के लिए आवश्यक है कि अर्जित भूमि एवं विकसित सम्पत्ति के रूप में भूमि का आडिट कराया जाये।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा विभिन्न चरणों में अर्जित भूमि प्रकिया की शुरूआत से लेकर अन्त तक सलाहकारी संस्था के रूप में मै0 पी0सी0एस0 मैनेजमेंट कन्सल्टेंसी प्रा0 लि0, लखनऊ की सेवाएं लेते हुए निम्नानुसार कार्यवाही करायी जाये :–

1. अर्जित भूमि के प्रारम्भ से लेकर अन्त तक भूमि का पूरा विवरण/आंकड़े एक जगह उपलब्ध करायी जाये।
2. किसी भी अधिसूचित क्षेत्र में भूमि अर्जन संबंधी सूचना प्राधिकरण को तुरन्त उपलब्ध करायी जाये।
3. भूमि अर्जन के समय राजस्व रिकार्डों को बारीकी से मिलान किया जाय।
4. भूमि से संबंधित समस्त सूचना एक जगह उपलब्ध करायी जाये ताकि जन–सामान्य द्वारा मांगी गयी सूचनाएं एक जगह उपलब्ध हों।

3– कृपया आवास विकास परिषद एवं विकास प्राधिकरणों द्वारा भूमि अर्जन के संबंध में उपरोक्तानुसार कन्सल्टेन्सी सेवाएं लेते हुए कार्यवाही सुनिश्चित करायी जाये।

27/10/16

भवदीय,

(शिव जनम चौधरी)
विशेष सचिव।

E:/Awas-1/Umesh/G.O. 2016

O/C

PCS Management Consultancy Pvt. Ltd. Lucknow

625